न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-381RAAJodhpur2022-220RTA225 Jogaram ors Vs Mahendra Kumar etc

01. जोगाराम पुत्र श्री पीराराम
02. अणची पत्नी पीराराम
03. मोहनराम पुत्र भीखाराम
04. सुगंनाराम पुत्र श्री भीखाराम
05. प्रेमाराम पुत्र श्री भीखाराम
06. तिलाराम पुत्र श्री भीखाराम
07. रूपा पत्नी भीखाराम
08. करनाराम पुत्र श्री भीखाराम
09. तोगाराम पुत्र श्री जोगाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमला देवी पत्नी जोगाराम
10. लिच्छु पुत्री भीखाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम बारनाउ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री टीकमचंद
2. भंवरलाल पुत्र टीकूराम
3. टीकमचंद पुत्र हरजीराम
4. सुरजो उर्फ सुरजा पत्नी हीराराम

सभी निवासीगण- बारनाउ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

5. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा जेलू गगाड़ी, खातेदार जोगाराम व अणची का हिस्सा रहन दर्ज।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला।
7. ग्राम पंचायत बारनाउ, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 209/2021 महेन्द्र कुमार बनाम जोगाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री ओ.पी. राठी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या दो

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 209/2021 महेन्द्र कुमार बनाम जोगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट-प्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश कर अपने खेत खसरा नं. 858 रकबा 80 बीघा 06 बिस्वा में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट्स की खातेदारी खेत खसरा नं. 842 रकबा 28.03 बीघा में सें रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार सेखाला से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जो खारिज किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित किया गया। पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी के द्वारा खसरा नंबर 858 मौजा बारनाउ में अपनी खातेदारी की भूमि का होना बताते हुए 80 बीघा 06 बिस्वा में ट्यूबवेल होने व काश्त किये जाने व आने-जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न होते हुए भी खसरा नं. 842 की खातेदारी रकबा 28.03 बीघा भूमि में से जिसमे कभी रास्ता नहीं रहा है, जिसे गलत प्रकार से रास्ता बताया जाकर अपीलांट की खातेदारी में हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया गया है, जबकि वास्तविकता से देखा जाता है तो तहसीलदार सेखाला के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.05.2022 को सुखाचार के अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 चुन्नीलाल, गोविन्दराम वगैरह बनाम टीकमचंद वगैरह के पक्ष में 01/2022 पीठासीन अधिकारी सुमित्रा चौधरी के द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया कि टीकमचंद रेस्पोडेंट महेन्द्र कुमार वगैरह ने खसरा नं. 858 में पुश्तैनी आम रास्ता ग्राम बारनाउ से ग्राम सामराउ तक जाने वाला अपना फाटक लगाकर बंद कर दिया है। पटवारी हल्का बारनाउ से मौका स्थिति की रिपोर्ट ली जाकर शामिल पत्रावली की गई। टीकमचंद को नोटिस दिया गया जो नोटिस उसके द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया जो पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली में शामिल रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रकरण के समस्त साक्ष्यों एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत बारनाउ के खसरा नं. 858 के खातेदार टीकमचंद, महेन्द्र कुमार ने रास्ता बंद किया है, कदीमी रास्ता खोला जाना आवश्यक है। भू-अभिलेख निरीक्षक नाथनाउ हल्का पटवारी बारनाउ को मौके पर शांति व्यवस्था बनाने हेतु पुलिस थाना देचू से पुलिस इमदाद लेकर रास्ता सुखाचार के तहत मौके पर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया जाता है। रास्ता खुलवाकर पालना करे। उक्त रिपोर्ट किसी भी प्रकार से असत्य नहीं थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के मेल मिलाप से दिनांक 24.12.2021 को एक रिपोर्ट पटवारी बारनाउ के द्वारा प्रस्तुत की गई ,जिसमें भी खसरा नं. 858 में रास्ता बंद होना बताया गया। उपरोक्त आधार से खसरा नं. 842 में कोई रास्ता नहीं होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जीपूर्वक एवं कानून को ताक में रखते हुए अपना आदेश पारित किया गया है जो गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा जो मांग की गई है, वो किसी भी रूप से न तो वाजिब कही जा सकती है और न ही कानूनन उक्त रास्ता नवीन सृजित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के सामने तहसीलदार सेखाला के द्वारा खसरा नं. 858 में कदीमी रास्ता होना बताते हुए मार्ग खुलवाने के आदेश दिये जाने के बावजूद एवं पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उक्त रिपोर्ट को नहीं मानने जैसा कोई कारण नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नवीन रिपोर्ट मंगवाकर और अपीलांटगण के द्वारा अपना एतराज प्रस्तुत किये जाने पर भी उसके एतराज को खारिज करते हुए नवीन रास्ता खोले जाने के आदेश गैर कानूनी एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये गये है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने के आदेश पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल लिपापोती करने की नियत से दिनांक 02.09.2021 की मौका रिपोर्ट मंगवायी, जिस पर अपीलांट्स द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई, लेकिन अपीलांट की आपत्ति रिपोर्ट पर खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि खसरा नं. 858 में कदीमी रास्ता जो स्वयं रेस्पोडेंट ने फाटक लगाकर अवरुद्ध किया है तो वर्तमान में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलांट्स के खेत में सें नवीन रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजर अदांज करते हुए नवीन रास्ते का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के खातेदारी के उसके रहवासीय ढाणी, मकान, टांके एवं पशुओ के बाड़े बने हुए है, जिस पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.14.2.2019 पेज 106, आर.आर.डी.14.7.2019 पेज 424 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु उक्त अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी में प्रदत निर्देशों की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका रिपोर्ट तलब की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथ्यों के गहन विवेचन के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधि सम्मत आदेश पारित किया है अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 14.03.2022 के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थीगण के खेत में अवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा खसरा नं. 858 में आवागमन हेतु सभी वैकल्पिक मार्गो पर विचार विमर्श किया गया जिसमें खसरा नं. 842 की दक्षिणी माठ का रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम है। अन्य विकल्प इससे बहुत लंबे है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि खसरा नं. 858 में कदीमी रास्ता उपलब्ध है जो रेस्पोडेंट्स द्वारा बंद कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार खसरा नं. 858 के राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते का अभाव पाया जाता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समस्त कार्यवाहियॉ रेस्पोडेंट्स की अनुपस्थिति में किया जाना पाया जाता है तथा विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट्स में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम रास्ता होना बताया गया है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 538/2022 अनवान जोगाराम बनाम महेन्द्र कुमार में पारित आदेश दिनांक 16.02.2022 की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट दिनांक 14.03.2022 तैयार किया जाना पाया जाता है तथा <u>प्रतिवादीगण/अपीलांट्स</u> द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाना पाया जाता है। जिससे अपीलांट्स यह उज्र भी समाप्त हो जाता है कि मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई तथा उनकी विचारण न्यायालय द्वारा उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि. 19.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर